"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 130] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 7 अप्रैल 2017 —— चैत्र 17, शक 1939

वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 31 मार्च 2017

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-25/2017/वाक. कर (आब.)/पांच (28).—— छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 की उप-धारा (2) के खण्ड (घ), (ङ), (च), (छ) एवं (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, "छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम, 1996" में निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात् :-

संशोधन

1. उक्त नियमों के, -

(1) नियम 8 में उप नियम (1) के खण्ड "(ककककक)" के पश्चात् एवं खण्ड "(ख)" के पूर्व "(कककककक)" अंत:स्थापित किया जावे अर्थात् :-

"(कककककक) "एफ.एल. 1 (घघ)" लायसेंस - यह अनुज्ञप्ति छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड अथवा उसके द्वारा अधिकृत किये गये प्राधिकारी को विदेशी मदिरा दुकानों की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन नियम, 2017 के अंतर्गत फुटकर विदेशी मदिरा के विक्रय के लिए है."

(2) प्रारूप "एफ.एल. 1 (घ)" के पश्चात् प्रारूप "एफ. एल. 1 (घघ)" जोड़ा जावे.

(3) छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम 1996 के तहत नियमों में जहां-जहां शब्द "एफ.एल. 1 (घ)" आया है के पश्चात् शब्द "एफ. एल. 1 (घघ)" जोड़ा जावे.

(4) प्रारूप एफ.एल. - 12 अनापत्ति प्रमाण पत्र के प्रथम भाग, द्वितीय भाग एवं तृतीय भाग में शब्द समूह "रुपये .... चालान क्रमांक .... दिनांक .... " के पश्चात् शब्द समूह "एवं प्रतिशुल्क के रूप में रुपए .... चालान क्रमांक .... दिनांक .... " जोड़ा जावे.

(5) प्रारूप एफ.एल. 20 अनापत्ति प्रमाण पत्र के प्रथम भाग, द्वितीय भाग एवं तृतीय भाग में "3. बोतल फीस" के पश्चात् "4. प्रति शुल्क" जोड़ा जावे.

(6) प्रारूप एफ.एल. 21 अनापत्ति प्रमाण पत्र के प्रथम भाग, द्वितीय भाग एवं तृतीय भाग में शब्द समूह "रुपए .... चालान क्रमांक .... तारीख .... " के पश्चात् शब्द समूह "तथा प्रति शुल्क के रूप में रुपए .... चालान क्रमांक.................. तारीख .... " जोड़ा जावे.

(7) नियम 18 के उपनियम 13 के शब्द समूह "निर्यात फीस, परिवहन फीस और शुल्क" के स्थान पर शब्द समूह "निर्यात फीस, परिवहन फीस, प्रति शुल्क और शुल्क" प्रतिस्थापित किया जावे.

2. यह अधिसूचना दिनांक 01-04-2017 से प्रवृत्त होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.